



म्ख् यतय/HEADQUARTER

पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002 Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi- 110002

दिनांक: 25/09/2021

Phone: 011-23215489, VOIP: 10011074

Email: med6-hq@esic.nic.in

Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

फ़ाइल संख्या ई-13/12/12/2021-पीआर

## प्रेस विज्ञप्ति

## संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा दिनांक 25.09.2021 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय का राजभाषा कार्यान्वयन निरीक्षण किया गया ।

नई दिल्ली, संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा दिनांक 25.09.2021 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय का राजभाषा कार्यान्वयन निरीक्षण किया गया । साथ हीं भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद; दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि., मुंडका डिपो, नई दिल्ली तथा संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक स्रक्षा संगठन, आगरा का भी राजभाषा कार्यान्वयन निरीक्षण किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति देश की राजभाषायी निरीक्षण के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त सर्वोच्च समिति है।

भर्तृहरि महताब, सांसद व उपाध्यक्ष, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गयी । डॉ. मनोज राजोरिया, सांसद, डॉ. अमी यजनिक, सांसद, श्रीमती कांता कर्दम, सांसद एवं श्रीमती सरोज पांडेय, सांसद बतौर सदस्य इस निरक्षण में उपस्थित रहे। इस बैठक का समन्वय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम म्ख्यालय रहा ।

श्रीमती अनुराधा प्रसाद, महानिदेशक, क.रा.बी.नि., श्री मनोज कुमार शर्मा, बीमा आयुक्त, क.रा.बी.नि., श्री अवधेश प्रताप सिंह, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, श्री प्रदीप कुमार प्रजापित, प्रभारी निदेशक, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग एवं श्री ब्रजेश कुमार द्विवेदी, डिपो प्रभारी प्रबंधक, दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड भी इस निरीक्षण बैठक में उपस्थित हुए।

सभी कार्यालयों द्वारा हिंदी के कार्यों से संबंधित प्रदर्शनी भी इस अवसर पर लगाई गई जिसमें उनकी नियम-पुस्तकें, बैनर, पोस्टर, फाइलें इत्यादि प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए गए। समिति ने इस संबंध में कुछ अति महत्वपूर्ण दिशानिर्देश एवं सुझाव दिए जिससे वे राजभाषा कार्यान्वयन में लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें । यह भी निदेशित किया कि समस्त कार्यालयीन काम राजभाषा में किया जाना है और इसके लिए गंभीर प्रयास किए जाएं। माननीय समिति ने कामकाज में किमियों को दूर करने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जिससे विभिन्न कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन में भारत सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

## भारत में ई.एस.आई. योजना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। यह चिकित्सा देखभाल संबंधी सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ आकस्मिकताओं जैसे बेरोज़गारी, बीमारी, मृत्यु इत्यादि के समय नकद हितलाभ भी प्रदान करता है। यह अधिनियम अब 12.36 लाख से अधिक कारखानों पर लागू है तथा देश भर में लगभग 3.41 करोड़ पारिवारिक इकाइयों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। 1952 में अपनी स्थापना के बाद से, ई.एस.आई.सी. ने अब तक 160 अस्पताल, 6 मेडिकल कॉलेज, 2 डेंटल कॉलेज, 2 नर्सिंग कॉलेज, 1502/308 डिस्पेंसरी/ आईएसएम यूनिट, 559/185 शाखा/वेतन कार्यालय, 49 डिस्पेंसरी सह शाखा कार्यालय और 64 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

\*\*\*\*

\*\*\*\*